

-संक्षिप्त निविदा सूचना-

खनिज शाखा, कार्यालय कलेक्टर दुर्ग के अंतर्गत निम्नानुसार अनुपयोगी, अपलेखित निम्नानुसार शासकीय वाहन, जहाँ है, जिस स्थिति में है, के विक्रय हेतु मोहर बंद निविदायें दो लिफाफा पद्धति द्वारा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट, से निम्नलिखित अनुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	वाहन का मॉडल	अफसेट मूल्य रूपये	निविदा फार्म का मूल्य	अमानत राशि
1.	2	3	4	5	6	7
1	सी.जी. 02-2482	महिन्द्रा जीप	2004	40,000/-	100/-	5000/-

1. निविदा प्रपत्र विक्रय करने का दिनांक- 01.07.2019
2. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि- 08.07.2019
3. निविदा खोलने का दिनांक- 09.07.2019

अपलेखित वाहन को, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है, निविदा प्रपत्र उपरोक्तानुसार कार्यालयीन समय में 100/- देकर, जिला खनिज शाखा, जिला दुर्ग से प्राप्त किए जा सकते है।


-निविदा की जानकारी निम्नानुसार-

निविदा हेतु मुख्य निर्देश-

4. निविदा में वे ही निविदाकार भाग ले सकते है, जिन्होंने उपरोक्त निविदा, जानकारी में दर्शाए अमानत राशि किसी राष्ट्रीय बैंक का एफ.डी.आर. के रूप में, जो कि खनि अधिकारी, खनिज शाखा, दुर्ग के नाम से देय हो को प्रथम लिफाफे में, प्रेषित किया हो, उस लिफाफे के उपर एफ.डी.आर. का नंबर एवं बैंक का नाम अंकित हो । दूसरे लिफाफे में, इस कार्यालय से प्रदाय निविदा प्रपत्र में सिर्फ दर, उल्लेखित हो तथा निविदाकार का नाम व पूर्ण पता एवं क्रय किये जाने वाले का नंबर अंकित हो, उन्हे ही स्वीकार किया जावेगा । सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी ।
5. उपर्युक्त अमानत राशि प्राप्त होने के दशा में ही निविदा प्रपत्र का लिफाफा खोला जाएगा ।
6. पुराने अपलेखित वाहन हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उच्च निविदा में प्राप्त अमानत राशि रोक़ी जावेगी।
7. निविदा फार्म में निविदाकार को संबंधित पुराने अपलेखित वाहन का क्रय हेतु प्रस्तावित मूल्य अंकित कर हस्ताक्षर कर मुहरबंद लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से खनिज शाखा, दुर्ग में दिनांक 08.07.2019 समय 5.00 बजे सांयकाल तक पहुंच जाना चाहिये उसके उपरांत कोई निविदा स्वीकार नहीं होगा ।
8. निविदा स्वीकार होने की स्थिति में पूरी राशि 07 दिनों में खनिज शाखा, दुर्ग में जमा कर वाहन को उठाकर ले जाना आवश्यक होगा । शर्तों के पालन न होने की स्थिति में अमानत राशि राजसात/जप्त की जाएगी ।
9. निविदा के संबंध में कलेक्टर द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा । किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार दुर्ग होगा ।
10. खुला आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा अर्थात आवेदन सीलबंद लिफाफा में स्वीकार किये जायें तथा आवेदक द्वारा लिफाफे पर "निविदा हेतु आवेदन पत्र" अनिवार्यतः लिखा जावे ।
11. आरक्षित मूल्य से कम के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।
12. वाहन के स्वामित्व के नामांतरण का व्यय निविदाकार स्वयं सभी विधिक दायित्वों का परिपालन करेगा ।
13. वाहन के बारे में अधिक जानकारी हमारे अधीनस्थ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), दुर्ग से संपर्क कर सकते है ।

14. इच्छुक खरीददार वाहन का निरीक्षण, कार्यालयीन समय में कर सकते है ।

उक्त वाहन की निलामी, निविदा फार्म की तिथि 01.07.2019 से तथा फार्म भरने की अंतिम तिथि 08.07.2019 को शाम 5.00 बजे तक है । जिसमें उपरोक्त मुहर बंद निविदा आमंत्रित किये जाने है, जिसमें उक्त वाहन के समक्ष अफसेट मूल्य अंकित की गई है तथा अन्य शर्तें कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जाने हेतु, जो कि खनिज शाखा में उपलब्ध हेगि ।


श्री एच.के.मारवाह,
खनि अधिकारी,
जिला-दुर्ग (छ.ग.)